मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2016 (श्रावण 5, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री मोहम्मद गनी अंसारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री गुलाबचन्द अग्रवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
(3) श्री सैयद हैदर रजा, सुप्रसिद्ध चित्रकार.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.14 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.22 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 146 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

प्रश्नकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण ने सदन में प्रवेश करके, गर्भगृह में आकर नारेबाजी की. अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वे अपने आसनों पर गए.

4. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन

सिंहावल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित नल-जल योजनाओं संबंधी प्रश्न संख्या-5 पर श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य ने मनगवां में बंघवा से देवरिहन गांव की सड़क एवं पुलिया निर्माण करने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना प्रस्तुत की.

अध्यक्ष महोदय महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – "नियम 267- क के अधीन लंबित सूचनाओं में से आज निम्नलिखित नियम 267- क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा". तद्नुसार -

(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्य की शुजालपुर के नवीन अस्पताल की ओ.पी.डी. में आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने,
(3) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज, सागर के 2009 बैच के छात्रों को स्थायी पंजीयन न देने,
(4) कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की सीधी एवं सिंगरौली जिलान्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान में निर्माण कार्यो में धांधली होने,
(5) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी बहौरी विधान सभा के ग्राम सिमरा में लॉजिस्टिक हब के निर्माण में विलम्ब होने,
(6) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की नगर परिषद् पाटन द्वारा जबलपुर सुरैया मार्ग के निर्माण में शासकीय राशि का दुरुपयोग होने,
(7) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में शिक्षक संघ के सचिव का स्थानांतरण होने,

(8) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य की कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय का स्थानांतरण होने,
(9) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर जिले के ग्राम मुरार के ओला पीड़ितों को राहत राशि वितरण में अनियमितता होने,
(10) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित शासकीय श्रवण बाधितार्थ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को भर्ती नियम सही करने,
(11) श्रीमती उषा चौधरी, सदस्य की सतना जिले की ग्राम रामस्थान में फर्जी विक्रेता द्वारा भूमि का फर्जी विक्रय पर पुलिस कार्यवाही नहीं होने,
(12) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की विधान सभा सत्र जुलाई, 2014 के प्रश्न क्रमांक 172 सम्बन्धी आश्वासन क्रमांक 449 के अंतर्गत जल आवर्धन योजना राशि का सही उपयोग न करने,
(13) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की राजगढ़ जिले की कुटावा से ताजीपुरा तक सड़क मार्ग न होने,
(14) श्री जितू पटवारी, सदस्य की इंदौर शहर में ए.डी.बी. के तहत पाईप लाईनों को डालने में भ्रष्टाचार होने,
(15) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की प्रभात पट्टन के किसानों को फसल बीमा राशि का मुआवजा न मिलने,
(16) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले में दलितों के खिलाफ अत्याचार होने,
सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल बाधित होने के कारण, प्रश्नकाल में गर्भगृह में प्रवेश रोकने सम्बन्धी नियम बनाने के सुझाव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गिरीश गौतम, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – माननीय सदस्यगण महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हैं और में सार्थक चर्चा के माध्यम से हम तमाम गड़बड़ियों पर अंकुश लगाते हैं. और उसमें भी विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल में गर्भगृह में प्रवेश करने पर बाधा पैदा होती है. अत: मेरा आसंदी से यह अनुरोध है कि पक्ष विपक्ष के सदस्यों के साथ बैठ कर कोई नियम बनाने का प्रयास करें जिससे कि गर्भगृह के भीतर, कम से कम प्रश्नकाल के दरमियान कोई नहीं आए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "श्री गिरीश गौतम जी ने जो बात उठाई है मैं उससे सहमत हूं. और सोचता हूं कि सदन भी उससे सहमत होगा. यदि वरिष्ठ सदस्यों की उपलब्धता रहती है तो इस सम्बन्ध में कल हम अध्यक्षीय कक्ष में एक बैठक बुला सकते हैं. यदि सबकी सहमति होगी तो कल इसकी चर्चा कर लेंगे और ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे कि प्रश्नकाल बाधित न हो".

श्री अनिल फिरोजिया, सदस्य द्वारा भी अनुरोध किया गया कि – हम नए विधायक बड़ी मेहनत से प्रश्न लगाते हैं और तैयारी भी करके आते हैं, कांग्रेस के कुछ सदस्य हस्तक्षेप करके हमें बोलने नहीं देते. हमारे प्रश्न नहीं उठाए जाने के कारण हम क्षेत्रीय समस्याएं नहीं उठा पा रहे हैं. हमें आपका संरक्षण चाहिये. आज भी मेरा 14 नंबर प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकी. मै यहां 107 नए निर्वाचित विधायकों का दु:ख आपसे कह रहा हूं.

डॉ. मोहन यादव, सदस्य द्वारा भी सदस्यद्वय के सुझाव का समर्थन करते हुए आसंदी के समक्ष गर्भगृह में आकर छपास के लिए प्रश्न, शून्यकाल एवं ध्यानाकर्षण की कार्यवाही को बाधित करने पर चिन्ता व्यक्त की. इसी कारण उनका तथा श्री के.के. श्रीवास्तव सदस्य का महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा में नहीं आ सका, क्योंकि प्रश्नकाल में बहुत कम प्रश्न लिए जा सके. अध्यक्ष महोदय द्वारा भी इससे सहमति व्यक्त करते हुए, माननीय सदस्य को आश्वस्त किया गया कि - उसके लिये कल हम विचार करेंगे.

श्री गिरीश भंडारी, सदस्य द्वारा भी इसी सम्बन्ध में अनुरोध किया गया कि - जैसे कि अभी सत्ता पक्ष के साथियों ने बताया है, प्रश्नकाल बाधित होने के कारण उनको भी दुख होता है. हम भी पहली बार के विधायक हैं. लेकिन विपक्ष का भी अपना दायित्व है जब मंत्री लोग गलत जवाब देते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उसका विरोध करें.

7. शून्यकाल में उल्लेख

(1) इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा राऊ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को मुआवजा न देने विषयक

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – 25 साल पहले 119 नम्बर स्कीम, इन्दौर विकास प्राधिकरण ने राऊ विधान सभा क्षेत्र में लागू की थी. 20 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर 165 नम्बर स्कीम के नाम से रि-लांच की. उसमें 700 एकड़ जमीन की स्कीम में से 600 एकड़ में किसानों को 3 साल के अनुबंध के अनुसार 50 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने थे. वह अनुबंध की तारीख चली गई, इसमें जिन्होंने अनुबंध नहीं किया. उन किसानों को 119 करोड़ रुपये देने हेतु कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया, पर इन्दौर विकास प्राधिकरण ने देने से मना कर दिया. मेरा आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में क्यों न यह स्कीम ही निरस्त कर दी जाये.

(2) सिवनी गुरुकुल जैन मंदिर में डकैती डालने एवं चौकीदार की हत्या करने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – सिवनी गुरुकुल जैन मंदिर में आज सुबह डकैती की घटना में चौकीदार की हत्या कर दी गई है. डकैत वहां से पूरे जेवरात उठा ले गये हैं. पुलिस की लगातार अव्यवस्था एवं अवैध वसूली के कारण उस शहर की व्यवस्थाएं खराब हैं. मेरा अनुरोध है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई हो.

(3) उज्जैन में इंदौर टैक्सटाइल्स, श्री सिन्थेटिक्स, विनोद विमल मिल के कर्मचारियों को बकाया राशि न देने विषयक

डॉ. मोहन यादव, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि - उज्जैन में इंदौर टैक्सटाइल्स, श्री सिन्थेटिक्स, विनोद विमल मिल के कर्मचारियों का लगभग बीस साल से बकाया राशि का मामला चल रहा है, लगभग 6000 से ज्यादा लोग व परिवार वाले आश्रित बकाया राशि की उम्मीद लागये बैठे है. लगभग 2000 लोगों की अपनी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो गई है. मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उनका बकाया हिस्सा दिलाया जाए.

(4) मंदसौर में दो महिलाओं को गिरफ्तार करने विषयक

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – मंदसौर में दो महिलाओं को असत्य इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया. बाद में पुष्टि हुई तो वह भैंस का गोश्त निकला. मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था मध्यप्रदेश में न हो, जो लोग जबरन किसी को फंसाने की कार्यवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा भी यही विषय उठाया गया कि – मंदसौर में एक वर्ग विशेष की दो महिलाएं पुलिस गिरफ्त में आई हैं. क्योंकि वे जावरा से मांग का अवैध परिवहन करके मंदसौर में बेचती हैं, उसको लेकर आज कुछ महिलाओं ने उनकी पिटाई कर दी है.

(5) ग्वालियर जिले रीवा जिले के रायपुर करचुलियान, जबलपुर जिले के डबरा और कुण्डम थाने जबलपुर में दलितों के घर जलाये जाने विषयक

श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – जिस तरह आज सरकार की शह पर ग्वालियर जिले के लगभग 25 दलितों के गांवों में पुलिस वालों ने रात्रि 12 बजे दारू पीकर परेशान किया. रीवा जिले के रायपुर करचुलियान, जबलपुर जिले के डबरा और कुण्डम थाने में कुछ दलितों के घर जला दिए गये हैं, अत: प्रकरण की जांच करके दोषियों को निलम्बित किया जाए.

(6) जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को पट्टा देने विषयक

श्री अशोक रोहाणी, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर वार्ड एवं गोकलपुर के निवासियों को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जबलपुर आगमन पर पट्टा वितरण की घोषणा की गई थी, उसके बाद भी उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि वे 40 -50 वर्षों से वहां निवासरत हैं. मेरे प्रश्न उत्तर में भी वताया ता कि वहां के दो हजार परिवार अतिक्रमणकारी नहीं है. अत: वहां के निवासियों को पट्टा देने की कार्यवाही की जाए.

(7) खाद्य विभाग द्वारा छापे मारने पर अवैध स्टॉक की जप्त की गई दालों की जानकारी देने विषयक

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि आज उनके प्रश्न में यह पूछा गया था कि मध्यप्रदेश में दालों के भाव अत्यधिक है, जहां पर दालें अवैध स्टाक करके रखी गई है, वहां कितनी जगह छापे मारकर कितनी दाल जप्त की गई है? इसके उत्तर में 20 हजार क्विंटल दाल जप्त करना बताया गया है, लेकिन केवल 9 क्विंटल दाल को ही नीलाम किया गया तो बाकी की दाल कहां गई है ? इसमें काफी हेराफेरी एवं भ्रष्टाचार हुआ है. मैं यह चाहता हूं कि किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत इसका जवाब आ जाये.

(8) दिमनी विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपंप लगाने विषयक

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – मैंने 2 साल पहले विधायक निधि से मेरे दिमनी विधानसभाक्षेत्र में हैंडपंप खनन के लिए पैसा दिया था. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने बताया है कि उन में से 25 हैंडपंप खनन किये गये हैं. लेकिन स्थिति यह है कि मात्र 12 हैंडपंप ही लगे हैं, यह पता करवा लीजिए. शेष हैंड पंप कब तक लगेंगे इसकी समय सीमा मंत्री महोदया बतायें.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन के बाहर से प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के सदस्यों को मुद्दे उठाने संबंधी संसदीय कार्य मंत्री के व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था (सुरक्षित)

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि –हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं. लेकिन लोग ट्विटर और टीवी के माध्यम से इस विधानसभा में क्या उठे, क्या नहीं उठे, ऐसा कह करके उनको षडयंत्रपूर्वक हटाने की साजिश कर रहे हैं जबकि यह कोई पार्टी का महासचिव या लोकसभा सदस्य तय नहीं करता है. यह कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता है.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा इसे संसदीय लोकतंत्र एवं सदन का अपमान बताया कि कोई ट्विटर के माध्यम से निर्देशित करे कि फलां प्रश्न पूछो और फलां नहीं पूछो. जो सदन का सदस्य नही हो उसके द्वारा नेता प्रतिपक्ष की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाकर अपमान किया है. यह सदन के सदस्यों का अपमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होने के कारण से हमारे विशेषाधिकारों का हनन भी है. अत: आसंदी से इस पर व्यवस्था देना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस विषय में मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ने भी कहा कि यह अनुसूचित जनजाति का अपमान है. कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस ने शिवभानु सिंह सोलंकी जी को नहीं बनने दिया, दलबीर सिंह जी को नहीं बनने दिया और आज बाला बच्चन यदि नेता प्रतिपक्ष हैं तो उस पर ट्विट किया जा रहा है. यह दलित विरोधी मानसिकता है. यह आदिवासी विरोधी मानसिकता है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने मध्यप्रदेश की विधान सभा के इतिहास में पहली बार सदन में विषय उद्भूत नहीं हुआ हो उस पर व्यवस्था का प्रश्न बनाकर माननीय संसदीय मंत्री सदन को भ्रामक जानकारी देने का प्रयास किया. ट्विट मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन न तो किसी को निर्देशित किया और न किसी के निर्देश पर हम विषय उठाते हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विषय व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सदन में उठाने लायक है ? यहां इतने महत्वपूर्ण विषय जनता के हित के आते हैं और जो विषय संसदीय कार्य मंत्री जी उठा रहे हैं क्या यह उचित है ? व्यवस्था के प्रश्न पर तुरंत निर्णय दिया जाना चाहिए. व्यवस्था के प्रश्न पर फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता.

श्री तरुण भनोत, सदस्य द्वारा संसदीय कार्य मंत्री महोदय के व्यवस्था के प्रश्न पर मत व्यक्त किया कि किसी के ट्विट करने की स्वतंत्रता से क्या रोक सकते हैं ? प्रत्येक वह व्यक्ति का निजी अधिकार है. आप उसको आधार मानकर विधान सभा में चर्चा करना चाहते हैं तो आज के सारे समाचार पत्रों में यह लिखा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल केबिनेट में कहा कि श्री बाबूलाल गौर को बोलने नहीं दिया जाये तो क्या यह सही है?

डॉ.गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा संसदीय कार्य मंत्री महोदय के जो व्यवस्था के प्रश्न पर कहा गया है कि कांग्रेस के महासचिव, श्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर जो कहा है उस पर मुझे अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है. श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा बाधित किया है इसलिए मैं भी उन्हें बोलने नहीं दूंगा. इस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सदस्यगण द्वारा अपने आसन से हटकर डॉ.गौरीशंकर शेजवार के विरूद्ध नारेबाजी की गई.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, स्थानीय निकाय, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2016 प्रतिवेदन, संख्या-4 पटल पर रखा.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने -
(क) महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा
(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-2015
पटल पर रखे.

10. व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित होना

कुछ माननीय सदस्यों के मध्य परस्पर टिप्पणियों से सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण 12.36 बजे विधानसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर 1.05 बजे पुन: समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

11. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया, शैलेन्द्र जैन, शंकर लाल तिवारी, तरूण भनोत, सोहनलाल बाल्मीक एवं डॉ. योगेन्द्र निर्मल, सदस्यगण ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री रुस्तम सिंह ने इस पर वक्तव्य दिया.

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 6 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.)

(2) श्री सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य ने मुरैना में शासकीय कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधि व नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री भूपेन्द्र सिंह ने इस पर वक्तव्य दिया.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गिरीश गौतम, सभापति ने प्राक्कलन समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

(2) श्रीमती रंजना बघेल, सभापति ने पटल पर रखे गए पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति के द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(2) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(3) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(4) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(5) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(6) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया)
(7) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(8) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(9) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)

(10) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(11) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(12) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(14) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(15) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(16) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(17) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(18) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(19) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(20) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(22) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(23) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(24) श्री महेश राय (जिला-बीना)
(25) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-उज्जैन)
(26) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(27) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(28) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(29) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(30) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(31) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(32) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(33) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(34) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(35) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(36) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोक नगर)
(37) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(38) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(39) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(40) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(41) श्री संदीप जायसवाल (जिला-कटनी)
(42) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(43) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(44) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(45) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(46) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(47) श्रीमती अनीता नायक (जिला-टीकमगढ़)

14. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय विधायकों/सांसदों की आवासीय योजना "रचना टावर्स" के शिलान्यास विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल की माननीय विधायकों/सांसदों की आवासीय योजना "रचना टावर्स" (एम.पी.नगर, चेतक ब्रिज के पास) का शिलान्यास आज सायंकाल 5.30 बजे या सदन की बैठक स्थगित होने के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा.

सभी माननीय विधायकों को इस कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र आवास संघ की ओर से वितरित किए जा चुके हैं. माननीय सदस्यों के लिए कार्यक्रम में आने जाने हेतु यथा समय विधान सभा सचिवालय से बस सुविधा उपलब्ध रहेगी. कृपया कार्यक्रम में शामिल होने का कष्ट करें.

(अपराह्न 1.45 से 3.17 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

15. मंत्री का वक्तव्य

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने नेशनल ऑप्टिकल फाईबर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के भूमिगत ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन के प्रकरणों को पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से मुक्त रखने के संबंध में वक्तव्य दिया.
श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम के संबंध में वक्तव्य दिया.
श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

16. वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2009-2010 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2009-10 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन किया.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

18. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

हाल ही में प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री आरिफ अकील, बहादुर सिंह चौहान, सुन्दरलाल तिवारी, सदस्यगण द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 को प्रारम्भ की गई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(20) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(21) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(22) श्री रामनिवास रावत

सभापति महोदय(डॉ. गोविंद सिंह) पीठासीन हुए.

(23) श्री जितू पटवारी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेंद्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(24) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(25) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(26) श्री दिनेश राय
(27) श्री कमलेश्वर पटेल
(28) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

19. अध्यक्षीय घोषणा

विधायक आवासीय योजना का शिलान्यास होने के कारण नियम 142-क की चर्चा अगले कार्य दिवस पर लिए जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि विधायक आवासीय योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज 5.30 बजे किया जाएगा. आप सभी माननीय सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में जाना है. अत: नियम 142-क की चर्चा अगले कार्य दिवस पर ली जाएगी.

अपराह्न 4.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2016 (श्रावण 6, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 27 जुलाई, 2016